

प्रेषक,
सरोज कुमार यादव,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-03, मुरादाबाद।

द्वारा,
माननीय जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।

सेवा में,
माननीय महानिबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

विषय - शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प का प्रेषण।


महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में ससम्मान निवेदन है कि मैं उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने हेतु पात्रता रखता हूँ, जिसके लिये शासनादेश संख्या-14 / 2024 / सा-3-243 / दस-2024/301 (1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अच्छादित किये जाने के लिये पत्र के साथ विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ। अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सन्दर्भित शासनादेश के अन्तर्गत माननीय न्यायालय से अग्रिम कार्यवाही कराने की कृपा करें।

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

सादर।


भवदीय


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
26.7.2024
कोर्ट संख्या-03, मुरादाबाद।

कार्यालय जनपद न्यायालय मुरादाबाद।

पत्रांक सं०- 1359 / 2024 (प्रशा०) मुरादाबाद: दिनांक 25.07.2024

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को अग्रसारित।


जनपद न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
24/07/2024

शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित - 28 जून, 2024 के अन्तर्गत ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन ऐसे पद / रिक्तियों के सापेक्ष हुआ है, जिसका विज्ञापन प्रदेश में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किये जाने. सम्बन्धि राज्य सरकारी की अधिसूचना दिनांक 28.03.2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से अछादित किये जाने के सम्बन्ध में विकल्प।

- 1- अधिकारी का नाम - सरोज कुमार यादव
- 2- स्थायी सेवानैतिक खाता संख्या (PRAN) - 110072046227
- 3- वर्तमान पदनाम - अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
- 4- विभाग का नाम - न्याय विभाग
- 5- विज्ञापन की तिथि - (दिनांक 28.03.2005 से पूर्व)
A-2/E-1/2003 दिनांकित 22/11/2003
- 6- चयन / कार्यभार ग्रहण करने की तिथि - 03-02-2007
- 7- घयन / कार्यभार ग्रहण करने की तिथि को पदनाम - अपर सिविल जज (जू-डि-)

8- एतद्वारा स्वेच्छा सो शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित 28 जून, 2024 के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किये जाने का विकल्प चुनता हूँ।

9- मैं सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर 5 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट्स रूल्स, 1981 के अधीन कवर किये जाने की शर्तों को पूरा होने की स्थिति में दिनांक 31.03.2025 के उपरान्त आदेश निर्गत होने के अगले माह से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत अंशदान की कटौती बन्द करने के लिये सहमत हूँ।


10- मैं प्रस्तर 5 (3) के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का वरण किये जाने पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खाते को दिनांक 30.06.2025 से बन्द करने के लिये सहमत हूँ।

11- मैं प्रस्तर 5 (4) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खाते में जमा सरकारी अंशदान को सामान्य भविष्य निधि खाते (जी०पी०एफ० आवंटित होने पर) में जमा कराने के लिये सहमत हूँ।

12- मैं प्रस्तर 5 (5) के अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अन्तर्गत खातों में जमा सरकारी अंशदान, राजकोष में जमा कराने के लिये सहमत हूँ।

विकल्प प्रस्तुतकर्ता के हस्ताक्षर

कार्यालयाध्यक्ष के हस्ताक्षर


सरोज कुमार यादव,
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-03, मुरादाबाद।
24.7.2024


शासनादेश संख्या - 20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1)/2024

दिनांकित - 11 जुलाई, 2024 का संलग्नक:

विकल्प पत्र


1. नाम : सरोज कुमार यादव
2. वर्तमान पदनाम : अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश
3. वेतनमान : J-5 (144840-194660)
4. वर्तमान विभाग का नाम : न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी करने वाले विभाग का नाम : लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश
6. विज्ञप्ति की तिथि : A2/E-1/2003 दिनांकित 22/11/2003
7. विज्ञप्ति के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि : 26-05-2006
8. योगदान की तिथि : 03-02-2007
9. जन्म तिथि : 01-08-1964
10. सेवनिवृत्ति की तिथि : 31-07-2024

मैं सरोज कुमार यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री दधनाथ यादव शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांकित - 28 जून, 2024 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓) / नवीन पेंशन योजना (X) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।


सरोज कुमार यादव, 24.7.2024
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-03, मुरादाबाद।

घोषणा पत्र

मैं सरोज कुमार यादव पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री दधनाथ यादव यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त क्रम संख्या - 01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही है तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।


सरोज कुमार यादव, 24.7.2024
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या-03, मुरादाबाद।

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा

श्री सरोज कुमार यादव पदनाम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓) / नई पेंशन योजना (X) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

कार्यालयाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष की संस्तुति

CHARGE CERTIFICATE
TAKING OVER

Certified that the office of the Addl. Civil Judge Junior Division, Mau was transferred vide Hon'ble High Court's Notification No. 19 / DR(S)/2007 Dated Allahabad : January 31 , 2007 in the Fore Noon/ After Noon of February 3, 2007 as herein denoted.

Relieving Officer

सरोज कुमार यादव
(Saroj Kumar Yadav)

Addl. Civil Judge Junior Division
Mau

Counter Signed

District Judge
Mau

No. 109/20-3 Dated: Mau 3 | 3 | 2007

Copy forwarded to:-

1. Deputy Registrar(Services) Admn. Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.
2. The Joint Director Treasuries camp office first floor New building Kutachary Road Allahabad.
3. The Accountant General U.P. Allahabad
4. The Sachiv U.P. Shashan Niyukati Anubhag Lucknow.
5. The Sachiv U.P. Shashan Nyay Vibhag Lucknow.
6. The Joint Registrar(Computer) High Court Allahabad.
7. The Treasury officer Mau
8. The Officer concerned.

District Judge

Mau

The Director, Institute of Judicial Administration, Lucknow requested for the appointment of a new Judge in the vacant post of Addl. Civil Judge Junior Division, Mau. The Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad has appointed a new Judge in the vacant post of Addl. Civil Judge Junior Division, Mau. The new Judge is Mr. Saroj Kumar Yadav, who is a member of the judicial service of the State of Uttar Pradesh. He is a member of the judicial service of the State of Uttar Pradesh and is a member of the judicial service of the State of Uttar Pradesh. He is a member of the judicial service of the State of Uttar Pradesh and is a member of the judicial service of the State of Uttar Pradesh.